

मिसाइल इत्यादि संबंधी जी एस टी दर की योजना

क्र.सं.	अध्याय/शीर्षक / उप शीर्षक / टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	एस जी एस टी दर	सी जी एस टी दर	आई जी एस टी दर	जी एस टी क्षतिपूर्ति 'सेस' दर \$
1	9301	रिवाल्वर, पिस्टल से इतर सेना अस्त्र	9%	9%	18%	शून्य
2	9303	अन्य अग्नि अस्त्र तथा उसी प्रकार के उपकरण जो किसी विस्फोटक चार्ज द्वारा चलाये जाते हैं। (उदाहरण के लिए स्पोर्टिंग शॉटगन, राइफल, मुजल- लोडिंग अग्निअस्त्र, सिगनल फ्लेर छोड़ने के लिए अभिकल्पित पिस्टल व अन्य उपकरण, खाली अस्त्रों की फाइरिंग के लिए पिस्टल व रिवाल्वर, कैप्टिव-बोल्ट ह्यूमने किलर,लाइन-थ्रोडिंग गन।	9%	9%	18%	शून्य
3	9304	अन्य अस्त्र (उदाहरण के लिए स्प्रिंग, वायु या गैस गन तथा पिस्टल, ट्रंचियन्स), शीर्षक 9307 में उल्लिखित सहित	9%	9%	18%	शून्य
4	9305	9301 से 9304 शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित उपकरणों के भाग और उपसाधन	9%	9%	18%	शून्य
5	9306	बम, ग्रेनेड, टॉरपिडो, खदान, मिसाइल तथा अन्य युद्ध तथा तत्संबंधी उपसाधन। शॉट व कैटरिड्ज वाड सहित कैटरिड्ज तथा अन्य अस्त्र तथा उनके प्रोजेक्टाइल व भाग।	9%	9%	18%	शून्य
6	9307	तलवार, कट-लेसेस, बेनेट, लेन्स तथा उसी प्रकार के अस्त्र व उनके उपकरण तथा उनके स्केबर्ड व उनके शेथ्स	9%	9%	18%	शून्य
7	9302	9303 या 9304 में उल्लिखित के अतिरिक्त रिवाल्वर तथा पिस्टल	9%	9%	28%	शून्य

टिप्पणी : उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 5 तक के लिए संदर्भ लें :

* दि. 29 जून, 2017 की जी ओ एम एस सं. 110 की अनुसूचीIII की क्रमसंख्याएँ 430 से 435 - अधिसूचना संख्या 01/2017 - तेलंगान राज्य का राज्य कर (दर), राजस्व (वाणिज्यिक कर - II) विभाग.

** अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूचीIII की क्रम संख्याएँ 430 से 435 - राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का केंद्रीय कर दर.

*** अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूचीIII की क्रमसंख्याएँ 430 से 435 - राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून 2017 का एकीकृत कर दर.

\$ अधिसूचना संख्या 1/2017 की क्रम संख्या 56 - राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का क्षतिपूरक 'सेस' दर.

उपर्युक्त क्र.सं. 6 के लिए संदर्भ

* दि. 29 जून, 2017 की जी ओ एम एस सं. 110 की अनुसूचीIV की क्रम संख्या 210 - अधिसूचना संख्या 01/2017 - तेलंगान राज्य का राज्य कर (दर), राजस्व (वाणिज्यिक कर - II) विभाग.

** अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूचीV की क्रम संख्या 210 - राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का केंद्रीय कर दर.

*** अधिसूचना संख्या 1/2017 की अनुसूचीIV की क्रम संख्या 210 - राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का एकीकृत कर दर.

\$ अधिसूचना संख्या 1/2017 की क्रम संख्या 56 - राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दि. 28 जून, 2017 का क्षतिपूरक 'सेस' दर.